

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16: 9873 Part 1, 15644

23 11 2023

विषय: खिलौनों की सुरक्षा के लिए संशोधित उत्पाद मैनुअल

1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।

2) खिलौनों की सुरक्षा के लिए अनुमोदित संशोधित उत्पाद मैनुअल को BIS वेबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual" के अंदर होस्ट कर दिया गया है। कारखाने और बाजार के नमूनों के लिए सैंपलिंग दिशानिर्देशों को हटाने के लिए उत्पाद मैनुअल को संशोधित किया गया है क्योंकि स्कीम I के तहत फैक्टरी और बाजार निगरानी पर उत्पादवार मार्गदर्शन में सैंपलिंग दिशानिर्देश पहले से ही दिए गए हैं।

3) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं अनुज्ञप्तिधारकों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(आदित्य दास)

वैज्ञानिक-डी

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक(प्रमाणन)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16:9873 Part 1, 15644

23 11 2023

Subject: Revised Product Manual for Safety of Toys

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for Safety of toys has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual". The product manual has been revised in order to remove the sampling guidelines for factory and market samples since these sampling guidelines are already given in the Product wise guidance on Factory & Market Surveillance under Scheme I.
3. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all licensees and applicants within 7 days.

(Aditya Das)

Scientist-D

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet